

(b) if so, names of States where the scheme has been introduced and the results achieved?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a) The Government of India did not introduce any crop insurance scheme; however, as sug-

gested by Government, the General Insurance Corporation of India introduced experimental crop insurance schemes in 1973 in a few States for a few selected crops on a voluntary basis.

(b) Results, achieved in the implementation of experimental crop insurance schemes are as under:—

States	Crop	Premium	Claims
Gujarat	Cotton	59,755	11,01,667
	Groundnut	1,17,133	19,86,206
Maharashtra	Cotton	32,171	70,872
	Wheat	17,390	5,830
Tamil Nadu	Cotton	30,656	19,547
Andhra Pradesh	Cotton	14,391	Nil.
	Groundnut	42,982	3,63,966
Karnataka	Cotton	18,576	55,030
West Bengal	Potato	5,426	2,735

The experimental crop insurance schemes which were introduced in the States mentioned above were gradually discontinued as the pattern was found to be uneconomical and unsuitable for implementation on a large scale.

National grid of Irrigation

52. SHRI SANTOSHRAO GODE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the proposal for National Grid of Irrigation is under consideration of Government;

(b) if so, what will be the total investment on this project;

(c) what will be the total manpower required; and whether this will be useful to remove unemployment problem; and

(d) within how many years this project will be completed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a) to (d). An integrated system of irrigation is considered necessary in view of deficient and unevenly distributed rainfall in the country. However, before investigations for such long-term scheme are taken up it is essential to first study, in depth, the position of surpluses and shortages in various basins, sub-basins and regions, and determine possibilities for inter-basin and inter-regional transfer of waters taking into consideration the minimum needs of drought prone areas. Such a study is in hand by the Central Water Commission.

The studies and investigations are, in their nature, long-term. It is difficult to set a definite time frame at this stage for completion of this task.

Construction of Dams in Tamil Nadu

53. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct the Mullikkadu Vaniyar Dam and Koppairu Dam in Dharmapuri District by the Tamil Nadu Government; and

(b) if so, when it will be taken up?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a). No such schemes have so far been received from the Government of Tamil Nadu.

(b). Does not arise.

जल परिषद् का गठन

54. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के जल संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और योजना के बारे में सरकार का विचार 'जल परिषद्' गठित करने का है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बाबल) : (क) और (ख) . वस्तुतः इस समय राज्य सरकारों का अपने क्षेत्रों में बहने वाले पानी के आयोजन, विकास, नियमन, वितरण एवं नियंत्रण-कार्य पर पूर्ण नियंत्रण है। बहरहाल, अन्तर्राज्यीय नदियों द्वारा ही, जिनके बसिन एक राज्य से अधिक में पड़ते हैं, अधिकांश जल संसाधन उपलब्ध किये जाते हैं। कभी कभी इन अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के समुपयोजन, वितरण अथवा नियंत्रण के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो ही जाते हैं और इन को या तो सम्बंधित राज्यों द्वारा स्वयं ही अथवा केन्द्र की सहायता

से बातचीत द्वारा हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिन विवादों को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता उनको अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट किया जा रहा है। बहरहाल, यह उत्तरोत्तर अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि केन्द्र को इस सम्बन्ध में विशेषकर अन्तर्राज्यीय नदियों के आवंटन और नियंत्रण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये तथा राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिये द्रुतगामी तरीके निकाल जाने जरूरी हैं। इसके लिये संसद् को विधान बनाना पड़गा। इन सभी मामलों का, जिसमें उचित संस्थागत प्रबन्ध करना और नया विधान बनाना भी शामिल है, सरकार द्वारा गम्भीरता से अध्ययन किया जा रहा है।

कारखानों में काम करने वाले बच्चों की दुर्दशा के बारे में अध्ययन

55. श्री उग्रसेन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने हाल ही में दिल्ली के अनेक कारखानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 7 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों की गुलामों सदृश दुःख स्थिति का अध्ययन किया है और समाज कल्याण विभाग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बाल कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान श्रम कानूनों का समुचित और दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिये अधिक सतर्कता बरतने के बारे में सरकार क्या नया कदम उठा रही है ?